बीसीसीएल
BCCL
Bharat Coking Coal Limited

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)

परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, पुटकी कोलियरी, पो.-कुसुण्डा, जिला-धनबाद (झारखण्ड)-828116

संदर्भ सं0 :- भाकोकोलि/पु.ब.क्षेत्र/पु.को./का.वि./2022/496 दिनांक 26 .12.2022
27

श्री लालबाबु डोम,
पम्प ऑपरेटर,
कर्मी सं0 :- 01438845,
पुटकी कोलियरी ।

स्थायी पता :-
पिता- स्व0 झगडू डोम
ग्राम - कान्ड्रा (हाड़ी टोला)
पो0 - महुदा, जिला- धनबाद
(झारखण्ड) पिन - 828305

विषय :- आरोप पत्र ।

श्री लालबाबु डोम दिनांक :- 22.10.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित थे । इसके लिए आपको अभियोग पत्र सं0 :- 2019/484 दिनांक :- 13/14. 11.2019 निर्गत किया गया। उक्त अभियोग पत्र में विभागीय जॉच की आदेश दी गई। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट जमा करने के उपरान्त संचिका को सक्षम पदाधिकारी के पास भेजा गया। सक्षम पदाधिकारी ने आपको वेतन से 1 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए एवं दीर्घावधि अनुपस्थिति मेडिकल बोर्ड, कोयला नगर अस्पताल से मेडिकल फिटनेस के बाद कार्य योगदान की अनुमति दी गई।

तदुपरान्त आपका मेडिकल बोर्ड करवाया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा कोलियरी प्रबन्धन को सूचित किया गया है कि आप अपने कार्य के लिए सक्षम (फीट) प्रेषित किये गये है।

तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक :-भाकोकोलि/पु.ब.क्षेत्र/पु.को./का.वि./2021/440 दिनांक :-24/25.12.2021 द्वारा आपको आदेश दिया गया कि आप तत्काल प्रभाव से अपने कार्य पर योगदान दें। योगदान पत्र की प्रति आपके कम्पनी आवास पर भेजा गया लेकिन आवास बंद था। पुन: स्थाई पता पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया जो वापस हो गया । पुन: कार्यालय आदेशपाल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपके स्थाई पता पर भेजा गया, आप अपने घर पर नहीं थे, इस कारण उक्त पत्र को आपकी मॉ श्रीमति गुजियां डोमिन को प्राप्ति कराया गया एवं आपके घर के दीवाल पर चिपकाया गया। परन्तु आज तक आपने अपने कार्य पर योगदान नही दिये।

आपका उक्त आचरण कम्पनी की व्यवहृत स्थायी आदेश की उपबन्ध संख्या - 26.1.1 के तहत् कदाचार की श्रेणी में आता है जिसके लिए दण्ड का प्रावधान है, जो इस प्रकार है :-

26.1.1. - यथेष्ट कारण के बिना आदतन देर से उपस्थिति अथवा कार्य से जानबूझकर आदतन अनुपस्थिति ।

अत: आप इस पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह दिनों के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आप पर उपरोक्त कदाचार के लिए के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय ? अगर आपका जबाव निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नही होता है तो समझा जायेगा कि आपके पास इसका कोई जबाब नही है तब प्रबन्धन आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

ह0/- परियोजना पदाधिकारी, पुटकी कोलियरी।